न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :– 19/2023
जीसीएमएस नम्बर :–2023/674

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्याम गिलडा पुत्र बद्रीनारायण गिलडा, फर्म मै0 सांवरिया एजेन्सी, पंचायत समिति क्वार्टर रोड़, ओसियां, जिला जोधपुर। निवासी पंचायत समिति क्वार्टर रोड, ओसियां, जिला जोधपुर।

2. गौरव तनेजा पुत्र आतम प्रकाश तनेजा, फर्म मैसर्स TANEJA MILK & FOOD PVT. LTD, 4TH MILE STONE BEHIND HOTEL GOLDEN PLACE NEAR T.T.C. SIRSA ROAD HISAR, HARIYANA निवासी मकान संख्या 59, शान्ती नगर, कुंजलाल गार्डन, हिसार, हरियाणा 125001।

उपस्थिति

अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–:आदेश :– दिनांक :– 14.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.10.2021 को रजीनश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म–मैसर्स सांवरिया ऐजेन्सी, पंचायत समिति क्वाटर रोड, औसियां जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर विक्रेता/एफबीओ एवं मालिक की हैसियत से श्याम गिलडा पुत्र श्री बद्रीनारायण गिलडा उम्र 46 वर्ष निवासी पंचायत समिति क्वार्टर रोड, औसियां जिला जोधपुर उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) का भण्डारण वास्ते विक्रय करते हुए व कब्जे में रखे हुए पाये गये। इनको खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा गया जो इनके द्वारा फर्म का एफएसएस अनुज्ञप्ति, जीएसटी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आधार कार्ड पेश किया। दुकान/परिसर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) 1 लीटर के 15 पैकेट्स के 02 कार्टून, 5 लिटर के 4 टिन के 2 कार्टून 15 किलो के 09 टिन कुल मात्रा 70 लिटर एवं 135 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर रूबरू गवाह इसका निरीक्षण करने पर श्री मुकेश चाण्डक पुत्र रामाकिशन चाण्डक निवासी – पंचायत समिति क्वार्टर रोड, औसियां जिला जोधपुर मो. 9950892443 मेरे साथ गये श्री भैराराम प्रजापत सहा.कर्म. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की उपस्थिति खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) की जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत खरीद कर कराने के लिए विक्रेता को कहा गया एवं इसकी सूचना जरिये को प्रपत्र एवं 5ए भरकर श्री श्याम गिलडा को दिया गया। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) का नमूना वास्ते जाचं एफ.एस.एस.एक्ट के तहत जांच कराने हेतु खरीद कर रहा हूं। श्री श्याम गिलडा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) की खरीद मैसर्स – तनेजा मिल्क फूड प्रो. हिसार इण्डस्ट्रीज, राजकोट, गुजरात के बिल संख्या 21–22/240 से खरीद होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया जिसका इन्द्राज मौके पर प्रपत्र 5 ए पर किया गया। उक्त प्रपत्र 5 ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जिसकी असल प्रति संलग्न हैं।

रूबरू गवाह उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) 1 लिटर के चार पैकेट्स एक ही बैच एवं निर्माण तिथी के वास्ते रसायनिक जांच नमूनीकरण हेतु खरीद किया। जिसका नकद भुगतान श्री श्याम गिलडा द्वारा बताये गये पैकेट्स भाव से रूपये 1280/– रूपये देकर खरीद किया गया तथा रसीद/केश मेमो प्राप्त की (श्री श्याम गिलडा के द्वारा हस्तलिखित) जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

उक्त खरीद सुदा खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) 1 लिटर के चार पैकेट्स नमूनो भागो हेतु लेबल तैयार किये गये जिस पर अभिहित अधिकारी कोड व सीरियल नम्बर एम–2670 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2670 हस्ताक्षर युक्त डॉ. बलवन्त मण्डा, अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2670 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

नमूना लेने के पश्चात् देशी घी (हरियाणा किंग) 1 लिटर के 15 पैकेट्स के 02 कार्टून, 5 , लिटर के 4 टिन के 2 कार्टून 15 किलो के 09 टिन कुल मात्रा 66 लिटर एवं 135 किलोग्राम को सिज्ड कर सम्पूर्ण माल को उक्त परिसर में एफबीओ श्री श्याम गिलडा को जरिये प्रारूप–2 एवं प्रारूप – 3 के द्वारा जब्त कर उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। उक्त दोनो प्रारूप संलग्न हैं।

यह हैं कि कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव नमूने का विवरण अंकित किया गया एवं जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 23.10.2021 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2670 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 21.10.2021 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 21.10.2021 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक 16.12.2021 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य जांच रिपोर्ट एल. एस. 70[illegible]021 / 820 दिनांक 16.11.2021 सलंग्न कर एफबीओ / विक्रेता / मालिक 01. श्री श्याम गिलडा [illegible] श्री बद्रीनारायण गिलडा उम्र 46 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जरिये फर्म–मैसर्स सांवरिया एजेन्सी, पंचायत समिति क्वाटर रोड, औसियां जिला जोधपुर एवं 02. निर्माता फर्म – मैसर्स :– TANEJA MILK & FOOD PVT. LTD (फर्म) 4th MILE STONE BEHIND HOTEL GOLDEN PLACE NEAR T.T.C. SIRSA ROAD, HISAR, HARIYANA 125001 को नियम 2.4.6. (1) एवं धारा 46 (4) के तहत प्रेषित की गई। जाचं रिपोर्ट की एक मूल प्रति मुझ मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर का जांच रिपोर्ट में विलम्ब हेतु जारी पत्र 514–515 दिनांक 03.11.2021 पृष्ठाकिंत की गयी जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) अमानक स्तर (SubStandard) का होना पाया गया।

श्याम गिलडा के आवेदन मय उनकी फर्म के दस्तावेज एवं फार्म VIII अपील पर उक्त नमूना अभिहित अधिकारी जोधपुर के द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेटरी पूणे को पुनः जांच हेतु जरिये मेमोरेण्डम पत्र संख्या 556–558 दिनांक 17.12.2021 प्रेषित किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या RFL/P/DO/496/21/21/2021 दिनांक 12.01.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) अन्तर्गत धारा 3 (1) (zx) के तहत अमानक स्तर होना पाया गया। जो एफ0 एस0 एक्ट0 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन है तथा जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस विधिवत् तामिल हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 14.06.2022 को तथा अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 29.06.2022 को जवाब पेश कर दिया। अप्रार्थीगण को बहस हेतु कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन उनके द्वारा बहस नहीं की गई। अप्रार्थीगण का बहस का अवसर दिनांक 06.06.2024 को बन्द किया जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 14.06.2024 को रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी सख्या 01 की दुकान से देशी घी (हरियाणा किंग) का सैम्पल लिया गया जो अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थीगण पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब में बतलाया कि मेरे द्वारा उक्त घी पैक बंद तनेजा मिल्क एण्ड फूड प्राइलेट लिमि. से लिया जाता है। मेरे द्वारा इसमें कोई मिलावट नहीं की गई। जिस समय उक्त नमूने का सैम्पल लिया गया, उस समय मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खरीद के बिल पेश कर दिये गये। अतः मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का जुर्माना अध्यारोपित नहीं कर अनुगृहीत करावे।

अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब में बतलाया कि उक्त घी मेरे द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये बिल के बेचान किया गया था। उक्त नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक आया है। मेरे द्वारा जान–बूझकर किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। अन्त में कम से कम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी श्याम गिलडा पुत्र बद्रीनारायण गिलडा, फर्म मै0 सांवरिया एजेन्सी, पंचायत समिति क्वार्टर रोड़, ओसियां, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु देशी घी (हरियाणा किंग) का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) उक्त नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (हरियाणा किंग) के खरीद के बिल पेश किये गये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 श्याम गिलड़ा पर किसी भी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं की जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 गौरव तनेजा पुत्र आतम प्रकाश तनेजा, फर्म मैसर्स TANEJA MILK & FOOD PVT. LTD, 4TH MILE STONE BEHIND HOTEL GOLDEN PLACE NEAR T.T.C. SIRSA ROAD HISAR, HARIYANA निवासी मकान संख्या 59, शान्ती नगर, कुंजलाल गार्डन, हिसार, हरियाणा 125001 पर शास्ती रूपये 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. गणपत राम पुत्र रिडमल राम उम्र 26 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म-मैसर्स महादेव किराणा स्टोर, चाडी चौराहा, औसियां 342303 जिला - जोधपुर। निवासी - श्रीराम नगर, खाबडा खुर्द, तहसील औसियां, 342303 जिला - जोधपुर

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested